देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना
सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न (ए.फ.क्यू)

1. **योजना में स्कूटी के लिए आवेदन हेतु पात्रता क्या है?**
   योजना में राजस्थान मूल की 12वी उतीर्ण अति पिछड़ा वर्ग की छात्राएँ जो कि राजस्थान स्थित किसी राजकीय महाविद्यालय, राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में नियमित रूप से अध्ययनरत हो तथा–
   - जिनके माता–पिता की आय 2.5 लाख वार्षिक तक हो
   - राजकीय (राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों सहित) एवं निजी विद्यालयों में नियमित छात्रा के रूप में 12वीं कक्षा में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड / केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्डके राजस्थान स्थित विद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत से उतीर्ण हो।
   - अन्य आर्थिक सहायता या छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रही हो।

2. **मैंने 12वीं कक्षा उतीर्ण करने के एक वर्ष पश्चात स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया है तो क्या मैं इस योजना में स्कूटी हेतु पात्र हूँ?**
   स्नातक डिग्री के प्रथम वर्ष में प्रवेश एवं 12वीं कक्षा उतीर्ण के वर्ष में अतंराल होने पर योजना का लाभ देय नहीं होगा।

3. **मैने किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता प्राप्त की है तो क्या मैं इस योजना हेतु पात्र हूँ?**
   किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता/छात्रवृति प्राप्त करने वाली छात्राएँ इस योजना में पात्र नहीं है।

4. **योजना में आवेदन किस प्रकार किया जा सकता है?**
   योजना में https://hte.rajasthan.gov.in/online-scholarship पर ऑनलाइन स्कॉलरशिप पोर्टल पर छात्रा द्वारा स्वयं की एस.एस.ओ आई.डी से आवेदन किया जा सकता है।

5. **आवेदन के समय किन–किन दस्तावेजों/जानकारी की आवश्यकता होती है?**
   - जनआधार आई.डी. अथवा जनाधार पंजीकरण संख्या
   - आधार संख्या अथवा पंजीकरण संख्या।
   - स्वयं के बैंक खाता संख्या, आई.एफ.एस.सी. एवं एम.आई.सी.आर. कोड एवं बैंक शाखा।
   - आय घोषणा पत्र
   - 10वीं/12 वीं कक्षा की अंकतालिका
   - वर्तमान में अध्ययनरत विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान की प्रवेश शुल्क रसीद
   - इस आशय का शपथ–पत्र की लाभार्थी अन्य किसी प्रकार की छात्रवृति/योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर रही है।

6. **क्या मुझे छात्रवृति प्रोफाइल पंजीकृत करने से पूर्व एसएसओ आई.डी. प्रोफाइल अपडेट करना आवश्यक होगा?**
   हॉ, छात्रा को छात्रवृति प्रोफाइल पंजीकृत करने से पूर्व अपना एसएसओ आई.डी. प्रोफाइल अपडेट करना आवश्यक होता है। इसमें छात्रा को अपना जन्म दिनांक , मोबाइल न., जनाधार आई.डी. आधार नम्बर दिव्यांग, जाति श्रेणी सूचना आवश्यक रूप से अंकित करनी होती है। इसके अभाव में छात्रा अपनी छात्रवृति प्रोफाइल पंजीकृत नहीं कर पायेगी।

7. **योजना में ऑनलाइन आवेदन हेतु किन–किन दस्तावेजों को अपलोड किया जाना अनिवार्य होता है?**
   - आय प्रमाण पत्र (बीपीएल परिवार के अतिरिक्त)
   - 12 वीं अंकतालिका
   - महाविद्यालय/संस्थान की प्रवेश रसीद
   - इस आशय का शपथ–पत्र की लाभार्थी अन्य किसी प्रकार की छात्रवृति/योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर रही है।

8. योजना में चयनित होने पर मुझे क्या–क्या लाभ प्राप्त होगा?

योजना में चयनित होने पर प्रथम 1500 छात्राओं को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होता है–

- एक स्कूटी
- छात्रा को स्कूटी सुपुर्द करने तक का (रजिस्ट्रेशन, छात्रा के नाम हस्तांतरण) परिवहन व्यय
- एक वर्ष का सामान्य बीमा
- पाँच वर्षीय तृतीय पक्षकार बीमा
- दो लीटर पेट्रोल (वितरण के समय एक बार)
- एक हेलमेट

शेष पात्र छात्राओं को स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में पूर्णतया 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में राशि रू. 10000/– वार्षिक तथा स्नात्तकोत्तर प्रथम वर्ष (पी.जी. डिग्री प्रवेश वर्ष) में राशि रू. 20000/– वार्षिक तथा स्नात्तकोत्तर प्रथम वर्ष में पूर्णतया 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर स्नात्तकोत्तर द्वितीय वर्ष में राशि रू. 20000/– वार्षिक बतौर प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

9. ऑनलाइन आवेदन पत्र में ऑडिट ट्रेल का क्या अर्थ है?

आपके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की जाँच संस्थान/महाविद्यालय, जिला नोडल अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी एवं मुख्यालय स्तर पर की जाती है। यदि आवेदन पत्र में किसी भी स्तर पर कमी पाई जाती है तो उस कमी की टिप्पणी लिखकर आक्षेप लगाये जाते है अथवा सही पाये जाने पर आगामी स्तर को प्रेषित कर दिया जाता है। सभी स्तरों पर आवेदन पत्र सही पाये जाने पर ऑडिट ट्रेल में Shortlisted by HQ दर्शाया जाता है। आपके आवेदन पत्र विभिन्न स्तरों पर की गई कार्यवाही ऑडिट ट्रेल में दर्शायी जाती है तथा इसकी सूचना आवेदन पत्र में दर्शाये गए मोबाइल नम्बर पर एस.एम.एस. के द्वारा भेजी जाती है।

10. मेरे आवेदन पत्र में क्या कमी है, इसकी सूचना मुझे कैसे मिलेगी?

आप अपनी एसएसओ आई.डी. लॉगइन कर आवेदन पत्र में पायी गई कमियों को ऑडिट ट्रेल में देख सकते है तथा आक्षेप की पूर्ति कर आवेदन को पुनः महाविद्यालय को प्रेषित कर सकती है।

11. मेरा नाम अंतरिम वरीयता सूची में है, इसका क्या अर्थ है?

अंतरिम वरीयता सूची में उन समस्त छात्राओं का नाम सम्मिलित होता है जिनका आवेदन पत्र सही पाया जाता है। आपको अंतरिम वरियता सूची में अपने विवरण को ध्यानपूर्वक जाँच करनी चाहिए यदि आपके विवरण में सम्बधित कोई विसंगति हो तो उसे तुरन्त निर्धारित प्रारूप में महाविद्यालय /जिला नोडल अधिकारी को अवगत कराये।

12. मेरा नाम अंतिम वरियता सूची मे है, इसका क्या अर्थ है?

अंतिम वरियता सूची में शामिल प्रथम 1500 छात्राओं को स्कूटी एवं शेष चयनित छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। यदि आपका नाम अंतिम वरियता सूची में है तो जिला नोडल अधिकारी द्वारा आपकी पात्रता की जाँच आपके मूल दस्तावेजों के आधार पर की जाती है तथा सही पाये जाने पर आपका नाम स्कूटी वितरण /प्रोत्साहन राशि के लिए मुख्यालय को प्रेषित किया जाता है।

13. क्या दूरस्थ शिक्षा के पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्राएँ भी इस योजना में पात्र है?

दूरस्थ शिक्षा के पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्राएँ इस योजना में पात्र नहीं है।